

राजस्थानसरकार
वन विभाग

क्रमांक : प. 12(9)वन/2018

जयपुर, दिनांक:-

19 APR 2018

परिपत्र

विषय:-राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों द्वारा अपने वर्ष 2017-18 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) राज काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन भरे जाने बाबत।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक F(913)/DoIT/Tech/2015 Dated 4 दिसम्बर 2015 के क्रम में राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017-18 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) राज काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन भरा जावेगा।

राजस्थान वन सेवा के समस्त अधिकारीगण अपने SSO ID के द्वारा लॉग इन कर राज काज सॉफ्टवेयर के APAR MODULE में स्वयं के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अनुक्रम चैनल अनुसार (प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता प्राधिकारी) नियत (Fixed) करेंगे एवं प्रतिवेदन चैनल अनुसार पूर्ण कर अगले स्तर पर अग्रेषित करेंगे।

राजस्थान वन सेवा अधिकारी के राज काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन भरे गये कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा ई-साइन के माध्यम से सत्यापित किया जावेगा।

वर्ष 2017-18 से टंकित एवं डाक द्वारा प्रेषित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। किन्तु जिन अधिकारियों के निर्धारित चैनल में यदि राजनेताओं की टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक हो तो उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑफ लाइन भी भरे जा सकेंगे।

राजस्थान वन सेवा के सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्ष 2017-18 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) राज काज सॉफ्टवेयर द्वारा आवश्यक रूप से ऑन लाईन भरा जाना सुनिश्चित करें।

यह परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

S/-

(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव,।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वन
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वन
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान वन सेवा अधिकारियों की एसीआर, निर्धारित चैनल के अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता तीनों अधिकारियों के ई-साइन के द्वारा ही ऑन-लाईन भरवाकर तथा उक्त एसीआर का प्रिन्ट निकालकर सम्बन्धित अधिकारी से अवलोकन करवाकर इस प्रमाण पत्र के साथ कार्मिक विभाग को भिजवाये कि उक्त एसीआर निर्धारित चैनल अनुसार पूर्ति कराकर अवलोकन करा दिया गया है।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्यआयोजना एवं वन बन्दोबस्त) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव